न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	10/25	2025/163	17.06.2025	सरकार बनाम विपिन व अन्य	08.05.2026	1 लगायत7

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10/2025 (2025/163)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्णिया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
   –आवेदक

बनाम

1. श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुन्नी लाल गुप्ता (विक्रेता) मैसर्स श्री दाउजी स्वीट्स स्टेशन रोड, बजरिया ,गंगापुर सिटी 322201 निवासी संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी।
2. श्री सागर गुप्ता पुत्र श्री विपिन कुमार गुप्ता (प्रोपराईटर) मैसर्स श्री दाउजी स्वीट्स स्टेशन रोड, बजरिया गंगापुर सिटी 322201 निवासी संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी।
   –अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii),2 (iv)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अन्तर्गत दिनांक 21.03.2025 को 2:30 पी एम पर मेसर्स श्री दाउजी स्वीट्स, स्टेशन रोड, बजरिया, गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुन्नी लाल गुप्ता होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया जो वर्ष 2029 तक के लिए मान्य था। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में स्टील से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बने डिस्प्ले काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में लगभग 4 से 5 किलोग्राम Milk Cake made from milk and sugar से बनी आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त MilkCake made from milk and sugar में गुणवत्ता / मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जॉच 2. किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 360/– रुपये विपिन कुमार गुप्ता को नगद अंदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री नरेश दागुर एवं श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विपिन कुमार गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताकार किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री विपिन कुमार गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयंन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम Milk Cake made from milk and sugar को हिला मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील की ट्रे में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Milk Cake made from milk and sugar को प्रत्येक बोतल ने बराबर बराबर कर 40 40 बूंदे फॉर्मलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–3674 वर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक माग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच 3674 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हरताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ. की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6. की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/544 दिनाक 23.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपॉट सं. एल0एस0/1245/एक्ट/2025/1181 दिनांक 04–04–2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा चास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Milk Cake made from milk and sugar – Substandard & The Sample is Food Containing Extraneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006. होना पाया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ Milk Cake made from milk and sugar – Substandard & The Sample is Food Containing Extraneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 मे निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ Milk Cake made from milk and sugar – Substandard & The Sample is Food Containing Extraneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 मे निर्धारित है।

अप्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण जबाबदार नं0 1 व 2 स्टेशन रोड बजरिया गंगापुर सिटी में मैसर्स श्री दाउजी स्वीटस के विक्रेता एवं सं0 2 लाईसेंसी दुकानदार हैं। मिल्क केक जिसका सैम्पल आवेदक ने लिया वो सिर्फ दूध और सुगर के मिश्रण से बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की मानव व लोक स्वास्थय के हित में प्रतिषिद्ध पदार्थ की मिलावट नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जबाबदार पर नियमों की अवहेलना कर गलत कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियुक्त नं0 2 की दुकान पर आकर अभियुक्त सं0 1 से कई खाली कागजों पर बिना कुछ बताये पुलिस का भय दिखाकर हस्ताक्षर करा लिये और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल वाली Milk Cake made from milk and sugar 2 किलोग्राम का अभियुक्त सं0 1 को कोई भुगतान नहीं किया , ना ही रसीद दी और ना ही अभियुक्त सं0 1 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अपनी फर्म का केश मिमों दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई उक्त कार्यवाही गलत तरीके से की गई है जो निरस्त योग्य है, साथ ही अभियुक्त के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट. स. एल0एस0/1245/एक्ट/2025/1181 दिनांक 04–04–2025 निम्नानुसार हैः–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY

JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी

NABL TC-8946

Report No. L.S./1245 / Act / 2025 / 1181 Date: 04-04-2025

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from, Sh. Nitesh Gautam, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Milk Cake prepared from Milk and Sugar" bearing Code number and Serial number H-3674 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 24-03-2025 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Milk Cake Sweets prepared from Milk and Sugar" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 31-03-2025 to 04-04-2025 and the result of its analysis is given below.

[redacted] Report :-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.

(2) Physical appearance : - Light brown and Creamish coloured soft solid material.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 12.2:2016	Negative	Negative
2.	Test for added Sugar.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 12.1:2016	Positive.	Positive
3.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 12.4:2016	Negative	Negative
4.	Test for Neutralizer	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS2016 METHOD NO.12.11:2016	Negative	Negative
5.	Test for Saccharin.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOODADDITIVES 2016 METHOD NO. 3.2:2016	Negative	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
6.	Added synthetic colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOODADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
7.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3:2016	55.1	40.0 to 44.0
8.	Reichert Value of extracted fat	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS2016 METHOD NO.13.5:2016	0.39	Min. 24.0

The values obtained under parameter Butyro Refractometer reading at 40.0°C and Reichert value of extracted fat indicate that the Milk Fat of the product has been substituted by foreign fat.

Opinion-The sample of "Milk Cake prepared from Milk and Sugar" bearing Code No. and Sr. No. H-3674 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as the extracted fat does not conform to the standards of Milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006.

Signed this 04th day of April 2025

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

*** End of Report***

Note : The results relate only to the item tested.

A Butyro-Refractometer (BR) reading of 55.1 at 40°C for fat extracted from milk cake is significantly higher than the standard range for pure milk fat, indicating potential adulteration.Under FSSAI standards, milk fat should typically have a BR reading between 40 and 45 at 40°C.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Findings for Food Safety ComplianceHigh BR Value (55.1): A reading above the 40-45 range strongly suggests the presence of vegetable oils, hydrogenated oils (vanaspati), or animal body fat.
Adulteration Indicator: A BR reading of 55.1 falls outside the permitted range for pure ghee/milk fat, which is generally 40–45.
Regulatory Status: Such a reading indicates that the product does not conform to the standards for milk products as prescribed under the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations.

A Reichert-Meissl (RM) value of 0.39 for extracted fat from milk cake is highly indicative of adulteration with non-dairy fats (vegetable oil or animal fat) and does not comply with the standards for pure milk fat under the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) regulations.

Analysis of the Result:Normal RM Value Range: Pure milk fat generally requires an RM value between 21 and 35.0.39 RM Value Indication: An RM value below 1, such as 0.39, indicates a near-total absence of volatile soluble fatty acids (like butyric acid), which are characteristic of milk fat.Adulteration: This very low value strongly suggests that the fat extracted is not milk fat, but rather vegetable oil, vanaspati, or animal body fat.

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ Milk Cake made from milk and sugar – Substandard & The Sample is Food Containing Extraneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ Milk Cake made from milk and sugar – Substandard & The Sample is Food Containing Extraneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि पृथक–पृथक रूप से 50,000–50,000 रूपये (अक्षरे–पचास–पचास हजार रूपये), कुल एक लाख रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** . में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं0 1 व 2 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर.
गंगापुर सिटी.

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 10/25 (2025/163) सरकार बनाम विपिन व अन्य

द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी